संख्या-02/2023/2312189/2023/श्रम-2

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

श्रमायुक्त,
उ0प्र0, कानपुर।

श्रम अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक : 09 फरवरी, 2023

विषय: उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम-1996 के अन्तर्गत कोषागारों में जमा धनराशि की वापसी हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधानित धनराशि में से कोषागारों से सत्यापित धनराशि को आहरित कर बोर्ड के खाते में जमा कराने की स्वीकृति दिये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-962-63/लेखा-बजट-2022/बीओसी(एफ-207/174), दिनांक 18-01-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-76 के लेखाशीर्षक 2230-श्रम तथा रोजगार 01 -श्रम राजस्व 111-श्रमिक के लिए सामाजिक सुरक्षा 04-उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि की जमा धनराशि की वापसी के अन्तर्गत अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राविधानित कुल रू0 30,75,51,887/- (रू० तीस करोड़ पचहत्तर लाख इक्यावन हजार साठ सौ सत्तासी मात्र) को कानपुर नगर कोषागार से आहरित कर उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराये जाने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-76 (श्रम कल्याण) के लेखाशीर्षक 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास 01-श्रम-राजस्व 111-श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा 04-उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि की जमा धनराशि की वापसी की मानकमद 42-अन्य व्यय के अन्तर्गत अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रूपये 30,75,51,887/- (रू० तीस करोड़ पचहत्तर लाख इक्यावन हजार साठ सौ सत्तासी मात्र) निम्नलिखित शर्तों के साथ श्रमायुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) उक्त धनराशि किसी भी प्रकार से किसी अन्य योजना/कार्यो हेतु आहरित कर व्यय नहीं की जायेगी तथा आहरित कर बोर्ड के निर्धारित राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण से उक्त धनराशि का आहरण नहीं हो पाता है तो दिनांक 31-03-2023 के पूर्व धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(2) प्रश्नगत धनराशि से संबंधित चालान प्रतियों एवं पूर्व में स्वीकृत धनराशि से संबंधित चालान प्रतियों में दोहराव न होने पाये। दोहराव की स्थिति में इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-76 (श्रम कल्याण) के लेखाशीर्षक 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास 01-श्रम-राजस्व 111-श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा 04-उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि की जमा धनराशि की वापसी की मानकमद 42-अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

(4) उक्त धनराशि को व्यय करने में वित्त विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

3- उपरोक्त स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07-06-2022 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय

प्रेम प्रकाश सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-02/2023/2312189(1)/2023/श्रम-2, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
4- सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- श्रम अनुभाग-4 को शासनादेश संख्या-14/2022/862/36-4-2022/002-B 2022, दिनांक 28.07.2022 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

दिलीप कुमार शुक्ल
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।